

- 1-समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
- 2-समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,  
राजस्थान ।

विषय:- श्री केशो राय पाटन सहकारी शुगर मिल लिमिटेड, बून्दी के रिवर्स डेपुटेशन पर कार्यरत कर्मचारियों पैतृक विभाग में कार्यमुक्त करने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशालय के पत्र क्रमांक ई-12/एम/के.पा./ (14)पार्ट-11/09/ 190 दिनांक 16.2.09 के द्वारा श्री केशो राय पाटन सहकारी शुगर मिल लिमिटेड, बून्दी के अधिशेष कर्मचारी जो आपके अधीन चिकित्सा संस्थानों में वार्ड बाय के पद विरुद्ध प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है, की प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 31.3.09 के पश्चात नहीं बढ़ाने तथा कर्मचारियों को दिनांक 31.3.09 तक आवश्यक रूप से पैतृक विभाग हेतु कार्यमुक्त करने के निर्देश दिये गये थे ।

वित्त विभाग द्वारा अब उक्त प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 30.6.09 तक बढ़ाने की स्वीकृति उनके आई0डी0 क्रमांक 1800 दिनांक 30.1.09 से जारी की गई है । अतः श्री केशो राय पाटन सहकारी शुगर मिल लिमिटेड, बून्दी के अधिशेष कर्मचारियों की विपरीत प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 30.6.09 तक बढ़ायी जाती है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि कर्मचारियों को दिनांक 31.3.09 के स्थान पर दिनांक 30.6.09 को पैतृक विभाग के लिए कार्यमुक्त कर पालना रिपोर्ट भिजवाये ।

अति0 निदेशक(प्रशा0)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राज0जयपुर ।

क्रमांक:ई-12/एम/के.पा./ (14)पार्ट-11/09/ १7

दिनांक:- २५/२/०९

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- निजी सचिव, मा0 चिकित्सा मंत्री महोदय, राज0 सरकार जयपुर ।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0जयपुर ।
- 3- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारीता विभाग, राज0जयपुर ।
- 4- उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-3) विभाग, राज0जयपुर ।
- 5- उप शासन सचिव, वित्त (व्यय-4), राज0जयपुर ।
- 6- उप शासन सचिव, वित्त (नियम), राज0जयपुर ।
- 7- वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय ।
- 8- विधि सलाहकार, मुख्यालय ।
- 9- समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन- को भेजकर निर्देश है कि आपके अधीन जिलों में कार्यरत उक्त संवर्ग के कर्मचारियों को दिनांक 30.6.09 को आवश्यक रूप से कार्यमुक्त करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करें ।
- 10- रजिस्ट्रार, सहकारी समितिया, राज0जयपुर ।
- 11- अवसायक, केशोराय पाटन सहकारी शुगर मील एवं संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितिया, कोटा ।
- 12- समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान ।
- 13- प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय कमरा नं0 302 को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपडेट करने का श्रम करें ।

अति0 निदेशक(प्रशा0)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राज0जयपुर ।